

नं.सीपीपीआरआई/आरटीआई/2018/06(आई)/265 | 433

दिनांक: 30.05.2018

श्री गिरीश गर्ग,
द्वारा पेपर ट्रेडर्स
8-सीताराम बाज़ार,
ब्रह्मपुरी,
जयपुर-302002


विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-२००५ के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 28.4.2018 के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 28.4.2018 जो कि सूचना का अधिकार, अधिनियम - 2005 के अंतर्गत इस संस्थान को प्रेषित है का संदर्भ लें।

इस संबंध में सूचनिय है कि आप द्वारा वांछित सूचना संस्थान के संबन्धित विभाग से पत्रांक: CPPRI/TSCC/Test/18-19, दिनांक 28.4.2018 द्वारा प्राप्त हुई है जो इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है।

भवदीय,


(एम. के. गुप्ता)
जन सूचना अधिकारी

संलग्नक: यथोक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. निदेशक, केन्द्रीय लुगदी एवं कागज़ अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर



केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान सहारनपुर
टैक्निकल सर्विसेज एण्ड कोऑर्डिनेशन सैल

सी.पी.पी.आर.आई./टी0एस0सी0सी/टैस्ट/18 – 19

दिनांक 25.05.2018

कृपया अपने पत्र संख्या सीपीपीआरआई/आरटीआई/2018/06(आई)/265 दिनांक 03.05.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा श्री गिरीश गर्ग, जयपुर का आवेदन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अग्रसारित किया गया है। इस संबंध में सूचना ब्योरेवार उपलब्ध करायी जा रही है।

1. संस्थान में कागज के Grammage (जी.एस.एम.) के परीक्षण शुल्क का विवरण संस्थान की Website: www.cppri.org.in में Technical Services सैक्शन में दिया गया है।
2. कागज के जी.एस.एम. टैस्ट में BIS द्वारा निर्धारित सीमा (कमी या वृद्धि) के विषय में सम्बंधित IS Standard में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गयी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना; या सूचना की व्याख्या करना; या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना; या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।

आलोक कुमार गोयल
25/05/2018

(आलोक कुमार गोयल)

वैज्ञानिक 'ई-1'

टैक्निकल सर्विसेज एण्ड कोऑर्डिनेशन सैल

प्रतिलिपी:-

डा0 एम. के. गुप्ता
वैज्ञानिक 'एफ' एवं
जन सूचना अधिकारी

From:

गिरीश जर्ज
C/O पेपर डेडर्स
8, सीताराम बाजार,
ब्रह्मपुरी, जयपुर, 302002

दि. 28-4-18

To: -

श्रीमान सुचना अधिकारी,
केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान,
सहारनपुर (U.P.)

महोदय,

सुचना के अधिकार अधिनियम के तहत कृपया निम्न
सुचना उपलब्ध करवाने का श्रम करें :-

1. कागज की GSM टेस्टिंग हेतु टेस्टिंग चार्ज की दर
2. कागज के GSM टेस्ट में यदि 1.51 द्वारा निर्धारित सीमा में
कमी या वृद्धि पाये जाने पर वह टेस्ट पास माना जावेगा
अथवा फेल माना जावेगा। यह भी बताने की कृपा करें।

सुचना हेतु शुल्क क्र. 10/F का पोस्टल आर्डर क्र. 41/F 132370
समाप्त है।

धन्यवाद -

अवधीय .

Ginsh.

(गिरीश जर्ज)